

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी श्रीकान्त व्यास आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर - 13/2024 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1-आरिफ मंसूरी पिता अकबर मंसूरी मुसलमान निवासी धुंवाला तहसील माण्डल।

-प्रार्थी

बनाम

- 1- मिश्रीलाल पिता मगना जाट, निवासी लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा।
- 2- सुरेश पिता मांगीलाल दरोगा निवासी नयाखेड़ा तहसील बनेड़ा।
- 3- सुरज देवी पत्नी राजेश पारीक निवासी लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा।
- 4- घनश्याम पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी नयाखेड़ा तहसील बनेड़ा।
- 5- अहमद नूर खां पिता अलादीखां कायमखानी निवासी साकरिया खेड़ा तहसील बनेड़ा।
- 6- जमीला बेगम पत्नी अलानूर खां कायमखानी निवासी साकरिया खेड़ा तहसील बनेड़ा।
- 7- सलीम खां पिता अलादीखां कायमखानी निवासी साकरिया खेड़ा तहसील बनेड़ा।
- 8- इकबाल खां पिता शोकत खां कायमखानी निवासी साकरिया खेड़ा तहसील बनेड़ा।
- 9- बड़ौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा माण्डल।
- 10- तहसीलदार बनेड़ा।



-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी:- मुरारी जोशी

निर्णय

दिनांक :- 19/04/2024

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू० राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम साकरिया खेड़ा पटवार हल्का लाम्बियाकलां भूअ. निरीक्षक क्षेत्र रायला तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 84 के आराजी नम्बर 625, 627, 629, 632, 633 कुल किता 05 रकबा 5.9818 है० भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम साकरिया खेड़ा पटवार हल्का लाम्बियाकलां भूअ.निरीक्षक क्षेत्र रायला तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 84 के आराजी नम्बर 625, 627, 629, 632, 633 कुल किता 05 रकबा 5.9818 है० भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के

✓


आदेश पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना सुनिश्चित है।

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम साकरिया खेड़ा पटवार हल्का लाशियाकला भूअ.निरीक्षक क्षेत्र रायला तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 84 के आराजी नम्बर 625, 627, 629, 632, 633 कुल कित्ता 06 एकबा 595/10 है। भूदे सौदा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भूअ.निरीक्षक रायला को 2400/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त हो जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पन्न की जावे अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रकरण मौके पर जमा करावे। पत्थरगढ़ी करने के पश्चात यदि यह गया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचारधारा होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढ़ी कार्य नहीं किया जावे। अतः भूअ.निरीक्षक रायला जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19-04-2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।




(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला शाहपुरा